

ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,  
(संलग्नक-1 में अंकित मण्डल के जनपद उ०प्र०।)

पत्रांक-सी- 19 / बजट / 2012-13 लखनऊ :: दिनांक: 3 अक्टूबर, 2012

विषय- वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत अवशेष माहों के लिए 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1708/38-3-2012-1105/2012 दिनांक 19-7-2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू० 52975/- हजार (रूपये पांच करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) में से संलग्नक-1 में उल्लिखित विवरणानुसार रू० 1433/- हजार (रूपये चौदह लाख तैंतीस हजार मात्र) का आवंटन विभिन्न मानक मदों में किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का प्रगामी योग संलग्नक-2 में दिखाया गया है।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।


4- वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटित धनराशि का व्यय अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेतर-पक्ष के अन्तर्गत संलग्नक-1 में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक/प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर (आयोजनेतर पक्ष) के पृष्ठ संख्या-137 पर अंकित कर ली गयी है।

(2)

आपसे अनुरोध है कि आवंटित धनराशि का मासिक व्यय विवरण (बी०एम०-४) डी०डी०ओ० रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय। आवंटित धनराशि को कोषागारों के कम्प्यूटर में तत्काल फीड करा लिया जाय।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार


भवदीय,

  
(यू०एन० उपाध्याय)  
अपर आयुक्त(लेखा),  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक सी-१९ (१)/बजट/२०१२-१३ तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संलग्नक-१ में अंकित मण्डल के जनपद उ०प्र०।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-३, उ०प्र० शासन।
- 4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-२/ वित्त (आय-व्ययक) अनु०-१/२ उ०प्र० शासन
- 5- समस्त जिला विकास अधिकारी, संलग्नक-१ में अंकित मण्डल के जनपद उ०प्र०।
- 6 ~~सहायक आयुक्त/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।~~
- 7- गार्ड फाइल हेतु।

  
(यू०एन० उपाध्याय)  
अपर आयुक्त(लेखा),  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

अदिपत्र 3  
 अक्टूबर, 2012  
 संदर्भ क्र: 1  
 अदिपत्र 3

अदिपत्र 3  
 अक्टूबर, 2012  
 संदर्भ क्र: 1  
 अदिपत्र 3

क्र.सं.	प्राप्त की गयी	01 देव	02 ग्राम्य	03 ग्राम्य	04 ग्राम्य	05 ग्राम्य	06 ग्राम्य	07 ग्राम्य	08 ग्राम्य	09 ग्राम्य	10 ग्राम्य	11 ग्राम्य	12 ग्राम्य	13 ग्राम्य	14 ग्राम्य	15 ग्राम्य	16 ग्राम्य	17 ग्राम्य	18 ग्राम्य	19 ग्राम्य	20 ग्राम्य	21 ग्राम्य	कुल ग्राम्य
1	आगरा	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2	इलाहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
3	आजमगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिजनूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बस्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	फैजाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	देवीघाट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोरखपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	आली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कानपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	लखनऊ	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
13	मेरठ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मिर्जापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	गुवाहाटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	रायबरेली	641	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1066
17	बाराबंकी	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
18	सहायक आयुक्त/आदरणीय वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०५०।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राज्य योग	676	425	0	0	12	0	0	0	15	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1433

(रु० और लाख तैरीस हजार मात्र)

अपर आयुक्त (लेखा)  
 ग्राम्य विकास, उ०५०।

पत्र संख्या- सी 19 / बजट/2012 13 दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 संलग्नक-2 प्रगामी योग  
 अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनंतर-  
 001-निर्देशन तथा प्रशासन  
 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

क्रमांक	मण्डल का नाम	वर्ष 2012 13													(धनराशि हजार रु० में)			कुल योग			
		01-वित्तन	03-महंगाई मंती 69%	04-यात्रा व्यय	05-स्थानांतरण या यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जल प्रसार	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की उपार्ज	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टैलीफोन पर व्यय	14-गॉटलर गाड़ियों का क्रय	15-गाड़ियों का अभ्युत्थान और पेट्रोल आदि की खरीद	17-किसायत उपायुक्त एवं कर स्वागित्त	29-अनुरक्षण	44-पुशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्राथमिक व्यय		45-अन्य यात्रा व्यय	48-विकिरण व्यय	51-नदी नाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	आगरा	3200	2208	45	20	425	9	31	4	9	0	4	0	90	203	0	0	0	0	0	6248
2	इलाहाबाद	3345	2308	55	0	422	7	45	7	14	0	4	0	40	18	0	0	0	136	0	6401
3	आजमगढ़	1500	1035	24	0	39	7	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2615
4	चित्रकूटधाम	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13
5	बरेली	2000	1380	25	0	212	7	60	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3694
6	बस्ती	540	372	22	0	3	7	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	952
7	फैजाबाद	4500	3105	30	0	276	7	41	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7968
8	देवीपाटन	0	0	20	0	0	7	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	34
9	गोरखपुर	4700	3243	18	0	545	7	70	0	9	0	4	0	130	0	0	0	0	5	0	8731
10	झांसी	2500	1725	29	35	151	7	37	0	5	0	3	0	20	0	0	0	0	0	0	4512
11	कानपुर	2200	1518	58	0	220	40	100	0	22	0	4	0	75	0	0	0	0	0	5	4242
12	लखनऊ	4435	3036	0	0	591	6	40	0	7	0	4	0	10	0	0	0	0	86	0	8215
13	मेरठ	2700	1863	50	0	333	7	25	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4987
14	विन्ध्याचल	0	0	0	0	0	5	15	0	4	0	3	0	0	12	0	0	0	0	0	39
15	मुरादाबाद	2400	1656	50	18	211	7	0	0	6	0	3	0	20	0	0	40	0	0	0	4411
16	सहारनपुर	1641	1115	12	52	60	7	28	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2923
17	वाराणसी	4200	2898	42	12	496	7	15	0	6	0	4	0	10	67	0	0	0	103	0	7860
18	सहायक आयुक्त/आहरण वितरण अधिकारी, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
	राज्य योग	39861	27462	480	137	3984	150	507	11	122	0	61	600	395	300	0	40	0	330	5	74445

*(Handwritten Signature)*  
 अपर आयुक्त (लेखा)  
 ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक सी- 19 / बजट / 2012-13 लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत 49-चिकित्सा व्यय मद से सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

क्र०सं०	मण्डल का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम सर्व श्री / श्रीमती	धनराशि (रूपये में )
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	1-आशुतोष उपाध्याय, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक 2-शंकर लाल, क०लि० 3-शंकर लाल, क०लि० 4-शंकर लाल, क०लि०	12,243.00 8,514.00 8,512.00 2,781.00
2.	वाराणसी	1-राम प्रताप सिंह, सहा० लेखा परीक्षा अधिकारी 2-कासिम अली, अधीक्षक 3-कासिम अली, अधीक्षक 4-संजीव कुमार कन्नौजिया, क०लि० 5-अवधेश कुमार, आशुलिपिक 6-धनन्जय कुमार	19,907.00 8,376.00 6,890.00 9,212.00 42,266.00 11,113.00
3.	लखनऊ	1-अशीष कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक XX-गिरिजा शंकर मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त	14,000.00 94,569.00

XX नोट:- शासनादेश संख्या-बी-3-1497 / दस-2010-100(4)-ब०मै०-टी०सी०-11 दिनांक 21-6-2010 में की गयी गुपिंग के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है।



